निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 माघ 1943 (श0) (सं0 पटना 48) पटना, मंगलवार, 1 फरवरी 2022

परिवहन विमाग

अधिसूचना 1 फरवरी 2022

सं० 02/कर/शुल्क-10/2021, परि०/659—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सा0का0नि0-653 (अ), दिनांक-23.09.2021 द्वारा अधिसूचित मोटर यान (यान स्क्रेपिंग सुविधा का रिजस्ट्रीकरण और कार्य) नियम, 2021 को यथास्थिति बिहार राज्य में लागू करते हुए उक्त नियमावली के नियम-3 (ठ) के तहत् "राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार" को रिजस्ट्रीकरण प्राधिकार एवं नियम-3 (ख) के तहत "सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विमाग, बिहार" को अपीलीय प्राधिकार अधिसूचित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से. संजय कुमार अग्रवाल. सरकार के संघिव।

The 1st February 2022

No.-02, 'कर | शुल्क-10 | 2021, परि0 | 659—Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021 notified by the Ministry of Road Transport and Highways. Government of India vide notification no.-GSR-653(E), dated -23-09-2021 is being enforced in the State of Bihar as it is and State Transport Commissioner, Bihar is being notified as registering authority under rule-3(b) and Secretary/Principal Secretary/Additional chief Secretary is being notified as appellate authority under the rule-3(l) of the said rule.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in Bihar Gazette.

By order of the Governor of Bihar, Sanjay Kumar Agarwal, Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 48-571+10-डी०टी०पी० Website: http://egazette.bih.nic.in